समाहरणालय, दरभंगा

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक /जि0विधि,

प्रेषक,

वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला विधि प्रशाखा,
दरभंगा

सेवा में,

सभी लेख्य प्रमाणकों (नोटरियों)
व्यवहार न्यायालय, बेनीपुर/ बिरौल/ दरभंगा।

लहेरियासराय, दिनांक-........................।

विषय : लेख्य प्रमाणकों (नोटरियों) द्वारा व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीकरण हेतु शीर्ष में निर्धारित राशि जमा करने के संबंध में।

प्रसंग : सचिव -सह- विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6740/जे0, दिनांक-12.10.15

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि लेख्य प्रमाणकों (नोटरियों) का व्यवसाय प्रमाण-पत्र नवीकरण हेतु शुल्क की राशि मो0-1000.00 (एक हजार) रूपये कर दी गई है। जबकि पूर्व में यह शुल्क मो0-500.00 (पाँच सौ) रूपये निर्धारित थी। लेख्य प्रमाणकों को नवीकरण हेतु मो0-1000.00 (एक हजार) रूपये शीर्ष-R0070015010001 में जमा की जानी है। कुछेक लेख्य प्रमाणक सही शीर्ष में राशि जमा नही करते है, जिसके कारण नवीकरण की प्रक्रिया वाधित रहती है।

अतः पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि व्यवसाय प्रमाण-पत्र नवीकरण हेतु मो0-1000.00(एक हजार) रूपये शीर्ष-R0070015010001 में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला विधि प्रशाखा,
दरभंगा।

ज्ञापांक- 257 /जि0विधि, लहेरियासराय, दिनांक- 09 वीं फरवरी, 2016

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, दरभंगा बार एसोसियशन, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, दरभंगा को जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 9/2/16

वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला विधि प्रशाखा,
दरभंगा।

08/02/16